

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्



बालिका छात्रावास

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

दूरभाष: 0141-2709846, 2700872 ई-मेल: spdrmsaraj@gmail.com

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर- 302017

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय	2-5
2	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)	6-7
3	बालिका छात्रावास - योजना का सामान्य परिचय	8-11
4	बालिका छात्रावास - योजना की प्रगति का विवरण	12-14
5	ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-12	15-21

अध्याय -1

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं व समाज के पिछड़े वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं किन्तु, सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सफलता के कारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक-बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने स्वतंत्रता दिवस 2007 के राष्ट्रीय उद्बोधन में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच के सार्वजनीकरण की योजना SUCCESS (Scheme for Universalization of Access at Secondary Stage) प्रारंभ करने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उक्त उद्घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों तथा बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर तीन नई परियोजनायें प्रारंभ की गईं। ये परियोजनायें हैं:-

- (1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- (2) बालिका छात्रावास योजना
- (3) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना।

राजस्थान में इन परियोजनाओं की प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्विती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत 'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्' सोसायटी का गठन किया गया। इस सोसायटी का पंजीकरण 03 सितम्बर, 2009 को करवाया गया था। परिषद् ने पंजीयन के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। परिषद् के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय निष्पादक समिति की स्थापना की गई। राजस्थान

113

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग हैं। परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निष्पादक समिति के सचिव हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शाषी परिषद् का भी गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निष्पादक समिति की प्रत्येक तीन माह में तथा शाषी परिषद् की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 20011-12 मे निष्पादक समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यों का संचालन राज्य परियोजना निदेशक द्वारा किया जाता है। राज्य परियोजना निदेशक का सहयोग करने हेतु अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति की गई है। राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार माध्यमिक शिक्षा निदेशक/आयुक्त को ही पदेन रूप से दिया जाता है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा वर्ग के बरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इन अधिकारियों के नियंत्रणाधीन शाखाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिषद् का समस्त कार्य संपादित किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न शाखायें निम्न प्रकार हैं:-

- (i) **लेखा व वित्त शाखा:-** इस शाखा में लेखा व वित्त संबंधी कार्यों हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी के नेतृत्व में राज्य व जिला परियोजना कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक वर्ग के कर्मचारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यरत हैं।
- (ii) **सिविल निर्माण कार्य शाखा:-** सिविल निर्माण कार्य हेतु इस शाखा में अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में राज्य परियोजना मुख्यालय पर एक सहायक अभियंता एवं एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सहायक अभियंता तथा एक कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत किया गया है। यद्यपि अधिकांश जिलों में परिषद् के स्वयं के अभियंता नियुक्त किये गये हैं; किंतु, कुछ जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा का सहयोग भी किया गया है।

(iii) अकादमिक शाखायें:- इन शाखाओं में एक उपनिदेशक, एक सहायक निदेशक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की टीम की नियुक्त की गई है। यह टीम विभिन्न योजनाओं के अकादमिक कार्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। परिषद् पर कार्यरत विभिन्न अकादमिक शाखायें निम्न प्रकार हैं:-

- (अ) बालिका छात्रावास व संस्थापन
- (ब) मॉडल स्कूल व एक्सेस
- (स) गुणवत्ता, इक्विटी, प्रशासन व प्रशिक्षण
- (द) योजना व मॉनिटरिंग

परिषद् द्वारा संचालित होने वाली परियोजनाओं को राज्य की परिस्थितियों व विभागीय व्यवस्थाओं में तारतम्य की दृष्टि से एवं इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से परिषद् में कार्यरत अकादमिक, प्रशासनिक व संस्थापन शाखा में कार्य करने वाले अधिकारी राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं।

राज्य स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	निदेशक (मा.शि.) ही पदेन राज्य परियोजना निदेशक हैं।
2.	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	
3.	संयुक्त निदेशक	02	0	0	2 उ. नि. संयुक्त निदेशक के पदों के विरुद्ध नियुक्त हैं।
4.	उपनिदेशक	02	04	0	
5.	अधिकाधी अभियंता	01	01	0	
6.	सहायक अभियंता	01	01	0	
7.	कनिष्ठ अभियंता	02	01	01	
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	0	
9.	सहायक लेखा अधिकारी	01	01	0	
11.	कनिष्ठ लेखाकार	02	01	01	
12.	सहायक निदेशक	05	05	0	
13.	एम.आई.एस. प्रभारी	01	01	0	
14.	निजी सहायक	03	02	01	
15.	वरिष्ठ लिपिक	02	01	01	
16.	कनिष्ठ लिपिक	01	01	0	
17.	डेटा एण्ट्री ऑपरेटर	02	01	01	
18.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	08	0	
19.	सहायक कर्मचारी (सचिदा पर)	10	10	0	
20.	योग	46	41	5	

जिला स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जिला परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	जिला परियोजना समन्वयक	33	31	2	जि.शि.अ. (मा.शि.) ही पदेन जि.प.स. हैं।
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	33	31	2	प्रशासनिक व्यय हेतु एम. एम. ई. आर. मद में न्यून राशि प्राप्त होने के कारण जिले में कार्यरत अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन परियोजना मद से आहरित करने के स्थान पर उनके मूल विभाग से ही आहरित किया गया है।
3.	सहायक लेखाधिकारी	33	17	16	
4.	सहायक अभियंता	33	12	21	
5.	कनिष्ठ लेखाकार	33	4	29	
6.	कनिष्ठ अभियंता	33	15	18	
7.	कार्यक्रम अधिकारी	99	0	99	
8.	कनिष्ठ लिपिक	66	0	66	
9.	आशु लिपिक	33	0	33	
10.	एम.आई.एस. प्रभारी	33	0	33	
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	99	44	55	
12.	सहायक सेवा	99	7	92	
	योग:	627	161	466	

अध्याय -2

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के द्वारा समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण राष्ट्र में से शैक्षिक दृष्टि से पिछले विकास खण्ड अर्थात् ई.बी.बी. (EBB-Educationally Backward Block) का चयन करते हुए इन विकास खण्डों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में से ऐसे विकास खण्डों का चयन किया गया है जिनमें :-

- (i) कमजोर व वंचित वर्ग की जनसंख्या अधिक हो,
- (ii) ग्रामीण महिला साक्षरता दर अत्यंत न्यून हो व
- (iii) जेन्डर गैप बहुत अधिक हो।

उक्त आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009 में राजस्थान राज्य के कुल 238 विकास खण्डों में से 186 विकास खण्डों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) माना गया है। जिलेवार इन ब्लॉक की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

राजस्थान में जिले वार ई.बी.बी की संख्या

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर	11 x 3	33
अलवर, पाली	10 x 2	20
उदयपुर, जोधपुर	9 x 2	18
भरतपुर	8 x 1	8
अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, जयपुर, जालौर, राजसमन्द	7 x 6	42
बाड़मेर, टोंक	6 x 2	12
प्रतापगढ़, बीकानेर, झुंजरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोंही	5 x 5	25
बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली,	4 x 5	20

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
जैसलमेर	3 x 1	3
श्रीगंगानगर	2 x 1	2
कोटा, चुरू, हनुमानगढ	1 x 3	3
सीकर, झुंझुनु	0 x 2	0
योग		186

अध्याय —3

बालिका छात्रावास — योजना का सामान्य परिचय

माध्यमिक शिक्षा जहां बालक-बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार करती है वहीं आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करती है। अतः यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर उच्च स्तरीय ज्ञान एवं कौशल से युक्त हो ताकि हमारी भावी पीढ़ी जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर अग्रसर हो सके। इसी अवधारणा पर आधारित माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं सम्बलन हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावासों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से अभियान के रूप में चलाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान के सभी 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड अर्थात् ई.बी.बी. में समाज के वंचित वर्गों के बालक-बालिकाओं तक गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार के निर्देशन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ ही बालिका छात्रावास योजना व मॉडल स्कूलों की स्थापना की परियोजनाओं का भी विशेष रूप से संचालन किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्रम में छात्रावास स्थापना के उद्देश्यः—

इन योजनाओं में से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर संचालित की जा रही बालिका छात्रावास योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

- ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक) एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बी.पी.एल.) समुदाय में व्याप्त शैक्षिक असंतुलन को कम करना।
- प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं में नामांकन के अंतर को कम करना।

- बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण कराना।
- बालिकाओं का विद्यालय में अधिकाधिक ठहराव सुनिश्चित करना।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए निरन्तर पढ़ाई के अवसर उपलब्ध कराना।

बालिका छात्रावासों में बालिकाओं के प्रवेश के अवसर:-

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में बालिकाओं को निम्न वरीयता-क्रम के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने के लिये पात्र माना गया है:-

- **प्रथम वरीयता:-** सम्बन्धित ब्लॉक की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/छात्रावास से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है व कक्षा 9 में अध्ययन नियमित रखना चाहती हैं।
- **द्वितीय वरीयता:-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे परिवारों की छात्राएं जो कि बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल हैं।
- **तृतीय वरीयता:-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे परिवारों की छात्राएं जो बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल नहीं हैं।
- **चतुर्थ वरीयता:-** वे छात्राएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की तो नहीं हैं, परन्तु जिनके परिवार बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल हैं।
- **प्रत्येक छात्रावास में कम से कम 50 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की होनी चाहिए।** यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की सभी छात्राओं को प्रवेश देने के बाद उनकी संख्या 50 प्रतिशत से कम रहती है तो शेष सीटों पर बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल अन्य परिवारों की छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकेगा।

प्रवेश प्रक्रिया:-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बीपीएल परिवारों की छात्राएं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स के किसी राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं उन्हें प्रवेश हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होता है। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों, जिसमें अभिभावकों की सहमति प्राप्त हो, की जाँच उपरोक्त वर्णित पात्रता के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा की जाकर उपरोक्त वर्णित वरीयता के अनुसार छात्रावास में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश सूची तथा आरक्षित सूची तैयार की जाती है।

प्रवेश समिति

• छात्रावास के निकट के राबाउमावि/राबामावि/राउमावि/राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहाँ छात्रावास की अधिकांश बालिकाएँ अध्ययनरत हों की/का संस्था प्रधान (बालिका विद्यालय को प्राथमिकता)।	—	अध्यक्ष
• छात्रावास के निकट के राबाउमावि/राबामावि/राउमावि/रामावि जहाँ छात्रावास की अधिकांश बालिकाएँ अध्ययनरत हों में कार्यरत व्याख्याता (व्याख्याता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ अध्यापिका।)	—	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत एक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
• छात्रावास वार्डन	—	सदस्य सचिव

प्रवेश समिति एवं स्थानीय छात्रावास संचालन समिति का अध्यक्ष चूंकि एक ही विद्यालय का संस्था प्रधान है अतः प्रवेश समिति के विद्यालय का निर्धारण जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रावास में प्रवेश योग्य पात्र छात्राओं की संख्या एवं छात्रावास से विद्यालय की दूरी के मद्देनजर माह अप्रैल में ही किया जाना है। चयनित विद्यालय की सूचना परिषद् कार्यालय को 30 अप्रैल तक देनी आवश्यक है।

आवर्ती व अनावर्ती व्यय:-

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ई.बी.बी. में माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं के निवास हेतु 100 बालिकाओं की आवास क्षमता वाले एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जा रही है। बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 में प्रत्येक बालिका छात्रावास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनावर्ती मद के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु 38.75 लाख, बर्तन, फर्नीचर हेतु 3.00 लाख रुपये एवं बिस्तर आदि हेतु 75 हजार रुपये निर्धारित किये गये हैं।

प्रत्येक बालिका छात्रावास में 100 बालिकाओं के निवास, बालिकाओं के आवास के साथ ही इन बालिकाओं की देखभाल हेतु नियुक्त वार्डन के लिए भी आवास का प्रावधान है। इन बालिकाओं की देखभाल व भोजनादि की व्यवस्था करने के लिए एक वार्डन के अलावा एक चौकीदार, एक मुख्य रसोइया एवं दो सहायक रसोइयों का प्रावधान किया गया है। छात्रावास के आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु प्रति वर्ष 14.27 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस राशि का बालिकाओं के भोजन, बालिकाओं की स्वास्थ्य देखभाल, छात्रावास के कार्य करने वाले कार्मिकों के मानदेय, बिजली पानी, पत्र पत्रिकाओं, खेल सामग्री व अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय आदि पर व्यय करने हेतु उपयोग किया जाना है।

अध्याय -4

बालिका छात्रावास - योजना की प्रगति का विवरण

भारत सरकार द्वारा संचालित बालिका छात्रावास योजना अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के समान ही राजस्थान में भी राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (EBB) में 2008 से संचालित की जा रही है। प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2009 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के पश्चात् इस योजना का क्रियान्वयन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को (विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं को) गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना में राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले शामिल हैं। सीकर व झुझुनू दो जिले ऐसे हैं जिनमें किसी भी विकास खण्ड का ई.बी.बी. के रूप में चयन नहीं होने के कारण इन जिलों में यह योजना संचालित नहीं है।

यद्यपि प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान की सिविल इंजिनियर शाखा की मदद से करवाये गये थे किंतु अब इस योजना के अंतर्गत होने वाले अधिकांश निर्माण कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्वयं की सिविल शाखा द्वारा करवाये जा रहे हैं। इस योजना की वर्ष 2011-12 के दौरान प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राज्य में संचालित हो रहे बालिका छात्रावासों को शारदे बालिका छात्रावास का नाम दिया गया है।
2. राज्य के सभी 186 ई. बी. बी. बालिका छात्रावास निर्माण की 3 चरणों में स्वीकृति प्राप्त।
3. अब तक 74 बालिका छात्रावास निर्माण के लिये पूरी राशी तथा शेष 112 छात्रावासों के निर्माण की प्रथम किश्त के रूप में कुल मिलाकर 5883.735 लाख रुपये प्राप्त।
4. वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति (31 मार्च 2012) तक कुल 62 बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
5. उक्त 62 बालिका छात्रावासों में से वर्ष 2011-12 के दौरान 49 शारदे बालिका छात्रावासों का संचालन किया गया है।

6. यद्यपि इन बालिका छात्रावासों में वार्डन का प्रावधान है, किन्तु वार्डन की अनुपस्थिति / बीमारी या अन्य किसी कारण से अवकाश पर रहने के कारण किशोरवय की ग्रामीण परिवेश की छात्राओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन बालिका छात्रावासों में योजना की एम. एम. ई. आर. मद से वार्डन सहायिकाओं की सेवायें ली गई हैं।
7. इन 49 छात्रावासों में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल मिलाकर 2438 छात्राओं को प्रवेश दिया गया।
8. वर्ष 2011-12 के दौरान संचालित 49 शारदे बालिका छात्रावासों की सूची निम्न प्रकार है-

वर्ष 2011-12 के दौरान संचालित शारदे बालिका छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	संभाग	जिला	ब्लॉक	छात्रावास नाम
1	जयपुर	जयपुर	आमेर	अनौपपुरा
2		अलवर	राजगढ़	टहला
3		अलवर	किशनगढ़	बास कृपाल नगर
4		अलवर	रैणी	पिनान
5		अलवर	थानागाजी	प्रतापगढ़
6		दौसा	महुवा	पावटा
7	भरतपुर	धौलपुर	धौलपुर	प्रेरणानगर
8		करौली	सपोटरा	नारौली डांग
9		करौली	करौली	मासलपुर
10	अजमेर	अजमेर	भिनाय	देवलीकला
11		अजमेर	पीसागंन	तबीजी
12		अजमेर	मसूदा	किराप
13		अजमेर	केकड़ी	कादेड़ा
14		भीलवाड़ा	हुरडा	हुरडा
15		भीलवाड़ा	बनेडा	डाबला
16		भीलवाड़ा	मान्डल	भगवानपुरा
17		भीलवाड़ा	सुवाना	मांगरोप
18		भीलवाड़ा	शाहपुरा	कनेछनकला
19		नागौर	कुचामनसिटी	कुचामन सिटी
20	नागौर	जायल	जायल	

क्र.सं.	संभाग	जिला	ब्लॉक	छात्रावास नाम
21		नागौर	डीडवाना	मौलासर
22		नागौर	लाडनूं	लाडनूं/ कसुम्बी
23		नागौर	मूण्डवा	मूण्डवा
24		नागौर	परबतसर	परबतसर
25		नागौर	मकराना	चावण्डिया
26		नागौर	मेड़ता	मेड़ता
27		टोंक	उनियारा	अलीगढ़
28		टोंक	मालपुरा	ब्रजलाल नगर
29	कोटा	कोटा	इटावा	खोदावडा
30		बारां	शाहबाद	शाहबाद
31		झालावाड़	झालरापाटन	असनावर
32	उदयपुर	उदयपुर	मावली	मावली
33		उदयपुर	भीण्डर	खेराड़ा
34		चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	विजयपुर
35		चित्तौड़गढ़	भदेसर	नाहरगढ़
36		डूंगरपुर	बीछीवाड़ा	गैजी
37		डूंगरपुर	सीमलवाड़ा	पीथ
38		राजसमन्द	कुम्भलगढ़	चारभुजा
39	जोधपुर	जोधपुर	बालेसर	बालेसर
40		पाली	रानी	खोड
41		बाड़मेर	सिवाना	महलावास
42		सिरोही	सिरोही	जावल
43		सिरोही	रेवदर	माण्डर
44		जालौर	सांचौर	अरणाय
45		जालौर	भीनमाल	पुनासा
46	चूरु	चूरु	सरदारशहर	सरदारशहर
47		बीकानेर	बीकानेर	पूगल
48		बीकानेर	नोखा	कक्कू
49		हनुमानगढ़	टिब्बी	टिब्बी

अध्याय -5

बालिका छात्रावास (Girls Hostel): आडिट रिपोर्ट

~*~

“GIRLS HOSTEL”

Audit Report
for the year ended
31.03.2012

Rajasthan Council for
Secondary Education,
Jaipur
Rajasthan

~*~

Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
G-3-4, Shivgyan Avenue,
2 Yudhishter Marg, C- Scheme,
Jaipur (Raj)-302005
Tel : 0141-2222021 Fax : 2223021

~*~

GARG NARENDRA & ASSOCIATES

Chartered Accountants



109-110, Shivgan Avenue
2, Yudhisther Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. : 0141-2222021, 2223021
E-mail : nkg@gna-ca.com, Website : www.gna-ca.com

AUDIT REPORT

We have examined the Balance Sheet as at 31st March, 2012 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date, attached herewith of Rajasthan Council for Secondary Education, State Office –Girls Hostel Scheme, Jalpur, Rajasthan.

1. We certify that the Balance Sheet and the Income & Expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the State Office.
2. We conduct our audit in accordance with generally accepted audit standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principle used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3.
 - (A) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (B) In our opinion, proper books of account have been kept by the State Office of the Rajasthan Council for Secondary Education so far as it appears from our examination of the books.
 - (C) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with notes thereon, if any, give a true and fair view.
 - (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of the State Office as at 31st March, 2012, and
 - (ii) In the case of the Income & Expenditure account of the surplus of the State Office for the year ended on that date.
 - (iii) In the case of Receipt and Payment Account of the State Office for the year ended on that date.

PLACE : JAIPUR
DATED : 20.12.2012



For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN 008712C

N. K. Agarwal
(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M. No. 077501



AUDIT REPORT

We have examined the Balance Sheet as at 31st March, 2012 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date, attached herewith of Rajasthan Council for Secondary Education, State Office -Girls Hostel Scheme, Jaipur, Rajasthan.

1. We certify that the Balance Sheet and the Income & Expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the State Office.
2. We conduct our audit in accordance with generally accepted audit standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principle used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3.
 - (A) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (B) In our opinion, proper books of account have been kept by the State Office of the Rajasthan Council for Secondary Education so far as it appears from our examination of the books.
 - (C) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with notes thereon, if any, give a true and fair view.
 - (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of the State Office as at 31st March, 2012,
 - (ii) In the case of the Income and Expenditure account of the surplus of the State Office for the year ended on that date.
 - (iii) In the case of Receipts and Payment Account of the State Office for the year ended on that date.

PLACE : JAIPUR
DATED : 20.12.2012



For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

IFRN 008712C

N.K. Agarwal
(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M. No. 077501

**Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
Girls Hostel**


RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

RECEIPT	AMOUNT (IN Rs.)	PAYMENTS	AMOUNT (IN Rs.)
<u>To Opening Balance</u>		<u>By Grant Disbursed</u>	
Bank of Baroda	195360157.00	(33 Districts as per Annexure-I)	184474000.00
<u>To Grant Received</u>		<u>To Transfer to RMSA</u>	498718.00
G.O.I	164946000.00	To Advance to Districts for Contingency Works	2360000.00
G.O.R	<u>18327000.00</u>		
	183273000.00		
To S.B. Interest	5168521.00	<u>By Closing Balance</u>	
To Transfer from Model School	16730000.00	Bank of Baroda	213198960.00
	<u>400531678.00</u>		<u>400531678.00</u>

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

EXPENDITURE	AMOUNT (IN Rs.)	INCOME	AMOUNT (IN Rs.)
To Grant Disbursed	184474000.00	<u>By Grant Received</u>	
(33 Districts as per Annexure-I)		G.O.I	164946000.00
		G.O.R	<u>18327000.00</u>
			183273000.00
To Surplus	3967521.00	<u>By S.B. Interest</u>	5168521.00
	<u>188441521.00</u>		<u>188441521.00</u>

For Rajasthan Council for Secondary Education


 राज्य परियोजना निदेशक
 State Project Director
 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
 मुख्य लेखाधिकारी
 जयपुर
 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
 जयपुर

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our separate report of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C


 (NARENDRA KUMAR AGARWAL)
 Partner
 M.No. 077501



Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Basis of preparation

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements have been prepared under "Cash Basis" and all the income and expenditure are recognised on Cash Basis. The accounting policies have been consistently applied by the auditee and are consistent with those used in the previous year except treatment of grant which has been changed from capital to revenue approach during the current year.

Double entry accounting system has not been followed as no Ledger, Journal books are maintained. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-24)*

2. Cash & Bank

- a. Cash Balance as on 31.03.2012 is Rs. 31.00 as per cash book.
- b. Bank Balance taken and accepted as per bank /cash book.
- c. Bank reconciliation statement has not been prepared by the auditee. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-30)*

3. Stationery and consumables are booked as expense in the year of payment.
4. Expenditure is booked in Income & Expenditure Account on the basis of payment made. Utilisation Certificate has not been received and not considered for booking of expenditure.
5. Bank charges have been shown as net of reimbursement.
6. Balance in personal accounts are subject to confirmation.
7. During the year 24,447.00 received as bank interest (SBBJ Bank) has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore bank balance and surplus of the state has been understated by Rs.24,447.00 *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*
8. *During the year a sum of Rs. 6,22,02,686.00 received as F.D.R. Interest from Bank of Maharashtra and TDS thereon Rs.62,20,276.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore, surplus of the state office has been understated by Rs.6,22,02,686.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 5,59,82,410.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs.62,20,276.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

For Rajasthan Council for Secondary Education

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
(State Project Director)
जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी
(Sr. Accounts Officer)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्





Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

9. During the year there is accrued interest on FDR from Bank of Maharashtra amounting to Rs.2,10,71,210.00 and TDS thereon Rs.21,07,121.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore surplus of the state office has been understated by Rs.2,10,71,210.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 1,89,64,089.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs. 21,07,121.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)
10. During the year the Bank of Maharashtra has deducted TDS amounting to Rs. 83,27,397.00 which is not required to be deducted in the light of provisions of The Income Tax Act,1961 resulting into blocking of this huge sum.
11. During the year Rs. 617.00 has been deducted as bank charges by Bank of Baroda, which has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore surplus & bank balance of the state has been overstated by Rs.617.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)
12. During the year state office has made payment on account of travelling which has not been properly verified & authenticated. (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part - I vide chapter III, Rule 18)
13. During the year state office has paid Rs.2,04,000.00 as grant to Jhalawar District office, but the amount has not been credited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been overstated by Rs.2,04,000.00 therefore, surplus of the state has been overstated by the same. (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)
14. During the year cheques/ NEFT made and later on the same has been cancelled, but the amount has not been debited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been understated by Rs.17,170.00 and advances has been overstated by Rs.17,170.00.
15. During the course of audit, State office have collected / deducted various statutory deductions such as TDS, WCT and others as applicable, but the payment to concerned govt. department was not made in stipulated time as prescribed by the respective statute which may result in financial burden in shape of interest & penalty and personal accountability of concerned person.
16. During the year the state office has not deducted the TDS on following payments :-
 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter V, Rule-36)

Amount	Payment made to	On Account of
1,07,253.00	Jaipur Ex-men Welfare Society	Security & Maintenance Expenses
40,421.00	Hotel Khasa Kothi	Training Expenses
11,848.00	Hotel Gangaur	Training Expenses

For Rajasthan Council for Secondary Education


 (State Project Director)
 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
 जयपुर


 (Sr. Accounts Officer)
 जयपुर



**Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012**

17. During the year the state office has deducted less/short TDS on payments :-

TDS Deducted	TDS to be Deducted	Short Deduction	Payment made to	On Account of
3,054.00	15,778.00	12,724.00	Goyal Darda and Co.	Audit Work
16,232.00	16,617.00	385.00	Jitendra Computers	Computer Expenses
11,581.00	12,832.00	1,251.00	CDECS	Consultancy Expenses
374.00	1,239.00	865.00	Lokmitra International	Stationary Expenses
1,218.00	2,697.00	1,479.00	Milan Sweets	Staff Welfare Expenses

18. During the year SPO has given advance to Suppliers & Staff for Rs.41,113.00 which are outstanding/unadjusted as on 31.03.2012 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter VI, Rule- 47)

For Rajasthan Council for Secondary Education

(State Project Director)

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

(Sr. Accounts Officer)



मुख्य लेखा अधिकारी

IN TERMS OF OUR SEPRATE REPORT OF EVEN DATE
For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

Place : Jaipur
Dated : 20.12.2012



(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M.No.077501



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर- 302017

दूरभाष: 0141-2709846, 2700872 ई-मेल: spdrmsaraj@gmail.com

